उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़।

आदेश पत्रक

राज्यसात वाद संख्या – 07 / 2021

राज्य बनाम वाहन ट्रैक्टर संख्या–JH-09S-7235 के स्वामी एवं अन्य (दो वाहन)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
05/02/2021	**–:: आदेश ::–** अभिलेख उपस्थापित। पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के पत्र ज्ञापांक–2233 / अप०शा० दिनांक–27.08.2020 द्वारा माण्डू (कुज्जू) थाना काण्ड संख्या–116 / 2020, दिनांक–27.06.2020 धारा–13 Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining Transportation & Storage) Rules 2017 & 54 Jharkhand Mineral concession rule-2004 and 21 mines & minerals (Regulation & Development) Act 1957 के अन्तर्गत जप्त ट्रैक्टर नं० (01) JH-09S-7235, (02) JH-24F-9082 एवं (03) JH-02BB-1493, जिसमें लदा बालू को राज्यसात की कार्रवाई हेतु अनुशंसा हेतु प्रस्ताव न्यायालय को प्राप्त है। प्राप्त राज्यसात प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि, Mines & Minerals Development & Regulation Act 1957 की धारा–21 के तहत् प्राथमिकी दर्ज की गई है, जबकि धारा–21 (4-A) में निम्न प्रावधान है "Any mineral, tool, equipment, vehicle or any other thing seized under sub-section (4), shall be liable to be confiscated by an order of the Court competent to take cognizance of the offence under sub-section (1) and shall be disposed of in accordance with the directions of such Court." उक्त परिप्रेक्ष्य में वाद के इस अवस्था में उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़ द्वारा Mines & Minerals Development & Regulation Act 1957 की धारा–21 (4-A) के तहत् राज्यसात की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव विचारणीय नहीं है। अतः वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। इसी आदेश / मन्तव्य के साथ वाद निस्तारित की जाती है। प्राप्त राज्यसात प्रस्ताव मूल रूप में पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को वापस करें। अभिलेख संचित करें। लेखापित एवं संशोधित। 05/02/21 **उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,** रामगढ़। 05/02/21 **उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,** रामगढ़।	110/विधि 05/02/20